न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 152/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/415

अनवान

1. राधेश्याम पुत्र बालू सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैया पुत्र बालू सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राधा पुत्री बालू सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राहुल पुत्र बालू सुथार ना.ब. जरिए सरंक्षक माता बदामी पत्नि बालु सुथार नि.झड़ोल तह.रायपुर
5. बदामी बेवा बालू सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र हजारी सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमला बेवा हजारी सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी
2. विपक्षी 1, 2 अमरसिंह चारण

निर्णय

दिनांकः– 25/5/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. यह है कि ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की सीमा में प्रार्थीगण के पिता एवं पति बालू पुत्र हरलाल सुधार एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 के पिता एवं पति रामा, हजारी हीरालाल पुत्र हरलाल सुथार निवासी झडोल के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी सख्या 2278 रकबा 0.48 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 935 पर दर्ज रिकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है।
2. उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता एवं पति बालू पुत्र हरलाल सुधार का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता एवं पति रामा पिता हरलाल सुथार का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सख्या 7 लगायत 12 के पिता एव पति हजारी पुत्र हरलाल का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 18 के पिता एवं पति हीरालाल पुत्र हरलाल सुथार का 1/4 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है तथा भूमिया संयुक्त रूप से सभी के कब्जे में चली आ रही है। इन सभी खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण मृतक सभी खातेदारों के वारिस किन्तु नामान्तरणकरण सेक्शीकेशन का कार्य चलने से प्रार्थीगण एवं

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

अप्रार्थीगण के नाम नहीं खुल पाए जिससे मृतक सहखातेदार बालू पुत्र हरलाल सुथार के बजाय उनके 1/4 हिस्से की भूमियां खातेदारी हक से प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

3. उक्त भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सामलाती दर्ज रहने से भूमियों का उपयोग उपभोग करने, ऋणादि प्राप्त करने लगान जमा कराने आदि में प्रार्थीगण को भारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिससे प्रार्थीगण अपने पिता एवं पति खातेदार बालू पुत्र हरलाल सुथार के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को अपने नाम बतौर खातेदारी हक से दर्ज करवाने की घोषणा करवाते हुए अपने 1/4 हिस्से का जरिए मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा अपने हिस्से का अलग स्वतंत्र खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।
4. वादग्रस्त आराजियात के सामलाती दर्ज रहने उक्त वर्णित आराजी में मन मकसुद तरीके से अपना विशिष्ट कीमती भू–भाग पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। भूमियों के विशिष्ट हिस्सों पर कब्जा करेंगे और मौके पर भी लड़ाई–झगड़ा किया जिससे अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।
5. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मुलवाद के प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर की सीमा में प्रार्थीगण के पिता एवं पति बालू पुत्र हरलाल सुथार एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 के पिता एवं पति रामा, हजारी, हीरालाल सुथार निवासी झड़ोल के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 2278 रकबा 0.48 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 935 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है, में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों पर बिना विभाजन करवाए किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निमार्ण नहीं करे ना ही अन्य करावें और ना ही भूमियों का स्वरूप परिवर्तन करें तथा वादग्रस्त भूमियों के विशिष्ट हिस्से पर कब्जा नहीं करे और ना ही अन्य से करावें तथा भूमियों को विक्रय, रहन बय बक्सीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें व अजनबियों को प्रवेश नहीं करावे एवं रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।
6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता अमरसिंह चारण उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
7. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमत है।
8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षीगण की पैतृक कृषि अराजियात है। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया गया। वादग्रस्त आराजियात का मूलवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 विभाजन का वाद है जिसमें वादीगण द्वारा विभाजन चाहा गया है। वादग्रस्त आराजियात को उभयपक्ष बिना विभाजन कराए रहन, बय, बक्षीस या मौके पर निर्माण कर दिया जाए एवं मौके

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

तथा रेकॉर्ड की स्थिति में परिर्वतन कर दिया जाए तो खातेदारों को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं मौके पर परिवर्तन होने पर प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर की सीमा की आराजी संख्या 2278 रकबा 0.48 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 935 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है, उक्त भूमि में उभयपक्ष बिना विभाजन करवाए किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निमार्ण नहीं करे ना ही अन्य करावें और ना ही भूमियों का स्वरूप परिवर्तन करें तथा वादग्रस्त भूमियों के विशिष्ट हिस्से पर कब्जा नहीं करे और ना ही अन्य से करावें तथा भूमियों को विक्रय, रहन बय बक्सीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें व अजनबियों को प्रवेश नहीं करावे एवं रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस प्रकरण संख्या 152/2022 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा